पुलिस आदेश संख्या 283/2001

(निदेश:- पुलिस हस्तक नियम-329 से 332, 334, 335 एवं आइडेन्टीफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स ऐक्ट 1920 की धारा-3 से 7) के अन्तर्गत कार्यवाही की प्रक्रि

अंगुलांक का कार्य इधर कुछ काल से शिथिल पड़ गया है । फलत: अपराधियों के पहचान का एक सशक्त साधन का उपयोग नहीं हो रहा है । निदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के स्तर से प्राप्त :- "फिंगर प्रिंट ऑफ इन्डिया 2000" के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंगुलांक की प्राप्ति में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है । यह चिन्ता का विषय है कि वर्ष 1999 में मात्र 142 रेकर्ड स्लीप ही अंगुलांक ब्यूरो बिहार में प्राप्त हुए । अत: आवश्यकता है कि पी०आर० पद्धति एवं अंगुलांक एवं पद चिन्ह लेने की प्रक्रिया को पुन: कार्यान्वित कराया जाय । इस उद्देश्य से निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं :-

1. सर्व प्रथम उपरांकित पुलिस हस्तक नियम एवं आइडेन्टीफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स ऐक्ट की धाराओं से भली-भाँति अवगत हो जाना आवश्यक है । महज निर्देश हेतु प्रिजनर्स ऑफ ऐक्ट से संबंधित धाराओं को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :-

(क) धारा 3 - इस धारा के तहत पुलिस पदाधिकारियों को सजा याफ्ता व्यक्ति का शारीरिक माप या फोटो लेने का अधिकार है । यह अधिकार उन सजायाफ्ता व्यक्ति से संबंधित है जिन्हें एक वर्ष या उससे अधिक काल के लिए सश्रम सजा मिली है या ऐसे अपराध में सजा मिली हो जिसमें इन्हान्सड पनिसमेन्ट की गुनजाईश है या उन्हें द०प्र०सं० की धारा 118 के तहत अच्छे आचरण के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो ।

(ख) धारा 4 - इस धारा के तहत उन लोगों के शारीरिक माप एवं अंगुलांक लेने का अधिकार पुलिस को है जो उन मामलों में गिरफ्तार हुए हैं जिसकी सजा एक वर्ष या उससे अधिक की है । अगर पुलिस द्वारा उनका शारीरिक माप एवं अंगुलांक लिया जाना है तो वह व्यक्ति इसके इजाजत देगा । पुलिस द्वारा जब भी किसी व्यक्ति को अभियुक्त या संदेही के रूप में गिरफतार किया जाता है, उसी वक्त उस व्यक्ति के अंगुलांक थाना पर ही ली जाय, बशर्ते उनकी गिरफ्तारी उस तरह के अपराध में हो जिसकी सजा एक साल से ज्यादा हो ।

(ग) धारा 5 - इस धारा के तहत दंडाधिकारी, अपनी संतुष्टि पर, अनुसंधान के लिए किसी व्यक्ति का शारीरिक माप या फोटो ग्राफ पुलिस पदाधिकारियों को लेने जाने का आदेश दे सकते हैं । इस आदेश पर जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा आदेश दिया जाता है वह निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होगा और अपना माप तथा फोटोग्राफ लेने की इजाजत देगा । इसी प्रकार आदेश देने का अधिकार प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को ही है ।

(घ) धारा 6 - इस धारा के तहत जिस व्यक्ति का माप तौल एवं फोटोग्राफ

(क्र०पृ०उ०--------2)

अधिनियम के तहत लिया जाना है और व ह इससे इनकार करते हैं या इसका प्रतिरोध करें तो इसे लेने के लिए किसी प्रकार का उपाय किया जा सकता है । साथ ही इस कार्य में अवरोध के उत्पन्न करने पर वे भा0द0वि0 की धारा 186 के तहत अपराधी भी माने जायेंगे।

§च§ धारा 7 - इस धारा के तहत कतिपय स्थितियों में न्यायालय को अधिकार है कि वह लिये गये मापों को संबंधित व्यक्ति को लौटा देवें या फिर उसे नष्ट करवा देने का आदेश देवें ।

2- इस अधिनियम के तहत पुलिस पदाधिकारियों से तात्पर्य थाना प्रभारी या अवर निरीक्षक एवं इससे ऊपर के पंक्ति के पदाधिकारी से है ।

3- अंगुलांक विहित प्रपत्र में ही लिया जाना है ।

4- पी0आर0 सिस्टम के सम्बन्ध में आप सभी का ध्यान पुलिस हस्तक नियम के 332,334 एवं 335 की ओर आकृष्ट किया जाता है । चिन्ता का विषय यह है कि फिंगर प्रिंट के पी0आर0 सिस्टम जिलों में अकार्यकारी हो गया है । अतः इसे पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिए आवश्यक है कि हर जिला के आरक्षी अधीक्षक अपने जिला में इस कार्य के लिए कम से कम एक अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करें । प्रतिनियुक्ति के पूर्व यह आश्वस्त हो लेना आवश्यक है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अंगुलांक लेने की पूर्ण जानकारी है §पुलिस हस्तक 442,443 में प्रावधान अंकित है § यदि उनके जिले में ऐसे पदाधिकारी न हो तो उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु वे अपराध अनुसंधान विभाग से आग्रह करें जिससे उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम ए0टी0एस0 में निर्धारित किया जा सके । ज्ञातव्य है कि ऐसे पदाधिकारी जिलों में उन सभी स्थानों के लिए पदस्थापित हो जहाँ जेल हैं और जहाँ सजा याफ्ता कैदी रखे जाते हैं । इसके कार्य की समीक्षा आरक्षी अधीक्षक स्वयं करें तथा लिये गये फिंगर प्रिंटों का निष्पादन पुलिस हस्तक नियम के अनुसार सुनिश्चित करावें । क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक एवं प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक इस कार्य की समीक्षा हर माह अपने स्तरों से करें और अपने अपराधिक समीक्षा में इसका समावेश करें । इसकी प्रति अपर महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग के कार्यालय को प्रेषित करें ।

5- काण्डों के घटनास्थल पर अंगूलांक एवं पद चिन्ह अवश्य पाये जाते होंगे, परन्तु संबंध में कोई चान्स प्रिंट नहीं लिया जा रहा है और न उन्हें फिंगर प्रिंट ब्यूरो में भेजा जा रहा है । काण्ड के अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अनुसंधानक एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारियों की उदासीनता को परिलक्षित करता है । इस ओर अनुसंधानकों तथा पर्यवेक्षण पदाधिकारियों का ध्यान देना आवश्यक है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधियों को [illegible] अंगुलांक एवं पद चिन्ह एक सशक्त माध्यम हैं और इसका उपयोग किया जाना चाहिए ।

§ कृ0पृ0उ0------§

6— पुलिस हस्तक नियम के तहत अंगुलांक ब्यूरो के विशेषज्ञों को यह दायित्व दिया गया है कि वे हर केन्द्रीय, हर जिला के कारा का निरीक्षण हर 6 माह पर करें । नियम 446 परन्तु इसका निर्वाह बहुत ही ढिले तौर से किया जा रहा है । मात्र यह कहना कि पी०आर०ओ० शून्य प्राय: है, पर्याप्त नहीं माना जाय । यदि उन्हें यह ज्ञात हो कि उनके ...में ... कुख्यात कैदी हैं और उनका अंगुलांक नहीं लिया गया है तो वे संबंधित आरक्षी ... को ... उनका अंगुलांक को सुनिश्चित करवायेंगे तथा इस तथ्य को वे निरीक्षण टिप्पणी में अंकित ... निदेशक, अंगुलांक ब्यूरो इसे सुनिश्चित करायेंगे ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाय ।

9/10/

। आर० आर० प्रसाद ।
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार ।

ज्ञापांक 4338 /पी।
एफ०पी०ब०-...-16-2001

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।

पटना, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001.

प्रतिलिपि:-

1— गृह सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

2— निदेशक, अंगुलांक ब्यूरो, ए०टी०एस० बिल्डिंग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3— आरक्षी महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4— सभी क्षेत्रीय अपर महानिदेशक को सूचनार्थ प्रेषित ।

5— क्षेत्रीय महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित ।

6— आरक्षी महानिरीक्षक। वितंतु। को सूचनार्थ प्रेषित ।

7— आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/आर्थिक अपराध ... को सूचनार्थ प्रेषित ।

8— सभी क्षेत्रीय /केंद्रीय रेलवे/ विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

9— सभी आरक्षी अधीक्षक समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/रेल/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

10— प्राचार्य, ...०टी०सी०, ... को सूचनार्थ प्रेषित ।

9/10/2001

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार ।

राय/8102001